

2

दोहराते हुये तक प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ को  
अभिमाणक अधीनस्थ को बहस के दौरान अधीनस्थ में अंकित तथ्यों को  
बहस अभिमाणक अधीनस्थ व परीकार सरकार सूची गयी।

न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।  
अधीनस्थ प्रस्तुत होने पर एवं रजिस्ट्रार कर रेकॉर्डिंग तथा अधीनस्थ  
से दृष्टिकोण किया गया है।

हुये बेदखल, पैनल 308/- रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा  
10 बिस्वा किस्म वाक गुम काश्यापुरिया तहसील नैनावा का आतिथी मानते  
तहत अधीनस्थ को आराजी खसरा नंबर 50, 454, 1223 रकबा 09 बीघा  
अधिनियम के तहत ड्रेस न्यायालय में प्रेष की गई है। अधीनस्थ आदेश के  
20.04.2011 से अपसन्न होकर अधीनस्थ ने अन्तगत धारा 75 में राजस्व  
यह अधीनस्थ तहसीलदार नैनावा द्वारा पारित आदेश दिनांक

-: निर्णय :-

अधीनस्थ की ओर से - श्री नवेद केसर अभिमाणक।  
रेकॉर्डिंग की ओर से - परीकार सरकार

उपरिष्ठ-

75 में राजस्व अधिनियम  
नैनावा अन्तगत धारा 91 लेउड रेव्यू एक्ट अधीनस्थ अन्तगत धारा  
अधीनस्थ दिनांक 20.04.2011 तहसीलदार

राजस्थान सरकार जय न्याय तहसीलदार नैनावा जिना बून्दी (राजस्थान)  
-रेकॉर्डिंग-

- नाम -

अधीनस्थ -  
नैनावा जिना बून्दी (राजस्थान)  
जसकरण आ10 द्वारा लाल जाति श्रीमा निवासी गुम काश्यापुरिया तहसील

मिसल संख्या: 03/अधीनस्थ/2016  
तारीख दायरा 13.01.2016  
तारीख निर्णय 15.03.2017

धीरानी अधिकारी - श्री प्रकाश चन्द पवन  
आर.ए.एस.

न्यायालय अतिरिक्त जिना कलेक्टर बून्दी (राज10)

90 दिन सिविल कारावास, पैनाल्टी, फसल जप्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है जो कानूनी तथ्यों एवं विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्त का जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है केवल मात्र पटवारी के बयानों के आधार पर दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी साबित किये बिना ही सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पश्चात्वृत्ति साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय साइक्लोस्टाइल प्रपत्र में भरा गया है जिसके कॉलम भी रिक्त है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।


अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.04.2011 निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा किया है। अपीलान्त को विधिवत् नोटिस दिया गया है। पटवारी के बयान लिये गये हैं। अपीलान्त राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्त द्वारा भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ा है। कब्जा छोड़ने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी व बयान पटवारी के अनुसार अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि पर सम्वत् 2067 फसल रबी में सरसों व गेहूं की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलान्त को विधिवत् नोटिस दिया गया है। जो अपीलान्त की तामील नहीं होने पर भी एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जहाँ तक अपीलान्त को पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी माना जाकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व निर्णय की पालना में अपीलान्त को मौके से बेदखल किये जाने बाबत घटना बही की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को भूमि से बेदखल कर भूमि कब्जे राज लिये जाने बाबत कोई दस्तावेज उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वृत्ति बाबत कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं ली गई है। जिससे अपीलान्त का पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी प्रमाणित नहीं होता है। पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी प्रमाणित हुये बिना सिविल कारावास सजा जैसा कठोर आदेश किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश साइक्लोस्टाइल प्रपत्र में भरकर सुनाया गया है तथा साइक्लोस्टाइल प्रपत्र

भी अधूरा भरा गया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।  
आदेश आज दिनांक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश चंद पवन)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
बून्दी (राज0)